GCMS 2024/78

20/3/25 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उक्त प्रकरण में प्रा.पत्र
प्रस्तुत किया गया जिस पर [illegible] निर्णय [illegible] दाखिल-
किया गया। नकल [illegible]

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.21 19:38:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 27/2024 GCMS:- 2024/78 **दायर दिनांक : 30.01.2024**

1. कानाराम पुत्र पूर्णाराम
2. गुड्डी देवी पत्नी कानाराम

अकवाम कुम्हार निवासीयान ग्राम बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. पैरोकार राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय **दिनांक : 20.03.2025**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीगण व पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 5—6 एम.आर.एम. तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 की खाता सं. 45/1 के पत्थर नं. 79/35 (91) के किला नं. 14 से 19/1.518 है0, 21/2 में 0.127 है0, 22 से 25/1.012 है0 = 2.657 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीगण कानाराम पुत्र पूर्णाराम व गुड्डी देवी पत्नी कानाराम अकवाम कुम्हार साकिनान बीरमाना खातेदार के नाम से बहिस्सा बराबर अंकित है जिसके प्रार्थीगण उपरोक्तानुसार हिस्सेदार, खातेदार व काबिज हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पत्थर नं. 79/35 (91) के किला नं. 1/2, 10/2, 11/2, 20/2, 21/1 में (इन किलाजात के पश्चिमी पासा में) 0.025 है0 गैरमुमकिन रास्ता प्रत्येक किला में राजस्व रिकॉर्ड [illegible] जमाबन्दी में स्वीकृतशुदा है व मौका पर उत्तर से दक्षिण दिशा में [illegible] प्रार्थीगण [illegible] पत्थर नं. 79/35 (91) के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.21 19:38:18 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

किला नं. 21/1 में 0.025 है0 स्वीकृतशुदा गैरमुमकिन रास्ता के चिपते पूर्व दिशा में स्थित किला नं. 21/3 की 0.101 है0 अनकमाण्ड रकबाराज भूमि के दक्षिणी पासा में, सींव पर पैमूदा 65.86' × 16.5' (लम्बाई गुणा चौड़ाई) =1086.69 वर्गफुट यानि 0.0101 है0 से होकर अपनी खातेदारी कृषि भूमि के किला नं. 21/2 की 0.127 है0 अनकमाण्ड भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। यह रास्ता मौका पर चालू है, इसके अलावा प्रार्थीगण को कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध नहीं है और ना ही मौका पर अन्य कोई रास्ता है। पत्थर नं. 79/35 (91) के किला नं. 1/2, 10/2, 11/2, 20/2, 21/1 की स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि के अतिरिक्त किला नं. 1/1, 2 से 9, 10/1, 11/1, 20/1 व 21/3 की रकबाराज भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होने से वर्षा होने पर लोगों द्वारा इसमें जबरन काश्त कर ली जाती है व प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने से रोक दिया जाता है, जिससे प्रार्थीगण को अपने कृषि यंत्रों को लाने ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने–जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं होने से रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यकता है, इसलिए चक 5–6 एम.आर.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 79/35 (91) के किला नं. 21/3 की 0.101 है0 अनकमाण्ड रकबाराज कृषि भूमि में से 0.0101 है0 (दक्षिणी पासा में, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में) गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी व नक्शा में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। रास्ता की भूमि के प्रतिफल में प्रार्थीगण डी.एल.सी. से बनने वाली राशि राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए तैयार हैं।

तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ से निर्धारित प्रारूप में मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली पेशी में ली गई व अप्रार्थी को जरिये साधारण/पंजीकृत नोटिस तलब किया गया।

बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अंकित तथ्यों को दोहराया व तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ की मौका रिपोर्ट का अवलोकन

क्रमशः ..... पेज 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.21 19:38:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

करवाते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम से वाके चक 5–6 एम.आर.एम. तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 की खाता सं. 45/1 के पत्थर नं. 79/35 (91) के किला नं. 14 से 19/1.518 है0, 21/2 में 0.127 है0, 22 से 25/1.012 है0 = 2.657 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि बहिस्सा बराबर अंकित है। प्रार्थीगण को अपनी उक्त भूमि में आने–जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, प्रार्थीगण को रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यकता है, इसलिए नजरी नक्शा की ओर ध्यान दिलाते हुए चक 5–6 एम.आर.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 79/35 (91) के किला नं. 21/3 की 0.101 है0 अनकमाण्ड रकबाराज कृषि भूमि में से 0.0101 है0 (दक्षिणी पासा में, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में) गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी व नक्शा में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की। राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज ने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

तर्क सुनने के उपरान्त तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का गहनता से अध्ययन करने पर पाया जाता है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 5–6 एम.आर.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 79/35 (91) के किला नं. 14 से 19/1.518 है0, 21/2 में 0.127 है0, 22 से 25/1.012 है0 = 2.657 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में आने–जाने के लिए, इस पत्थर के किला नं. 21/3 की 0.101 है0 अनकमाण्ड रकबाराज कृषि भूमि में से 0.0101 है0 (दक्षिणी पासा में, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में) गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ की रिपोर्ट के संलग्न रिपोर्ट पटवारी के मुताबिक प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता की बाबत कोई विवाद, स्थगन आदि नहीं है [illegible] आदि हैं। रिपोर्ट के साथ संलग्न आंशिक नजरी नक्शा अनुसार पत्थर नं. 79/35 (91) के किला 21/3

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.21 19:38:18 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

में 0.012 है0 दक्षिण दिशा में प्रस्तावित रास्ता की भूमि है। प्रत्येक खातेदार को अपने खातेदारी रकबा में आने–जाने के लिए आवश्यकता हेतु रास्ता प्राप्त करने का अधिकार है, और काश्तकार को सुगम रास्ता उपलब्ध हो सके, इसका भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर वाके चक 5–6 एम.आर.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 79/35 (91) के किला नं. 21/3 की 0.101 है0 अनकमाण्ड रकबाराज कृषि भूमि में से 0.012 है0 (दक्षिणी पासा में, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में) रास्ता स्वीकृत किया जाता है व तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि के बदले प्रार्थीगण कानाराम पुत्र पूर्णाराम व गुड्डी देवी पत्नी कानाराम अकवाम कुम्हार निवासीयान बीरमाना तहसील सूरतगढ़ से डी.एल.सी. दर से दोगुणी राशि राजकीय कोष में जमा करवाये जाने के पश्चात् स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में रकबाराज खाता से कलमजन कर रास्ता के खाते में एवं नक्शा में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेशों की पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को पत्र जारी कर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 20.03.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.21 19:38:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक : राजस्व/रास्ता/27/2024/ 1716 दिनांक : 20.3.2025

तहसीलदार (राजस्व)
सूरतगढ़

विषय :प्रकरण सं. 27/2024 कानाराम वगैरह बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.ए. निर्णय दिनांक 20.03.2025 की पालना करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनवान का प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर वाके चक 5–6 एम.आर.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 79/35 (91) के किला नं. 21/3 की 0.101 है0 अनकमाण्ड रकबाराज कृषि भूमि में से 0.012 है0 (दक्षिणी पासा में, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में) रास्ता स्वीकृत किया जाता है व स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि के बदले प्रार्थीगण कानाराम पुत्र पूर्णाराम व गुड्डी देवी पत्नी कानाराम अकवाम कुम्हार निवासीयान बीरमाना तहसील सूरतगढ़ से डी.एल.सी. दर से दोगुणी राशि राजकीय कोष में जमा करवाये जाने के पश्चात् स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में रकबाराज खाता से कलमजन कर रास्ता के खाते में एवं नक्शा में अंकित कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.21 19:38:18 IST
Reason: SelfAttested